-दिनांक – 16-5-24 को थाना नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में तेजी और लापरवाही से गाड़ी चलाकर युवती को घायल करने वाले विक्रम चालक को पुलिस द्वारा किया गिरफ्तार।

दिनांक 15/05/2024 को थाना नेहरू कॉलोनी में शिकायतकर्ता अरशद, निवासी टर्नर रोड देहरादून ने तहरीर दी की दिनाक 15/05/24 को दोपहर 3-00 बजे के करीब उनकी बहन घर से कोचिंग के लिए निकली थी, रास्ते में धर्मपुर - मथुरावाला रोड पर ऑटो विक्रम वाले द्वारा उनकी बहन को चलते हुए ऑटो से धक्का दे दिया, जिससे उसे गंभीर चोटें आयी, जो अभी भी बेहोशी की हालत में है, उक्त तहरीर के आधार पर थाना नेहरू कॉलोनी में मुकदमा अपराध संख्या 149 /24 धारा 307 ,509 आईपीसी पंजीकृत किया गया।

घटना की गंभीरता के दृष्टिगत एसएसपी देहरादून द्वारा दिये गये निर्देशों पर अज्ञात ऑटो चालक की गिरफ्तारी हेतु थाना नेहरूकालोनी पर पुलिस टीम का गठन किया गया, गठित टीम द्वारा घटनास्थल व उसके आस- पास लगे सीसीटीवी कैमरो को चेक किया गया एवं प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ कर जानकारियां एकत्रित की गई, सीसीटीवी कैमरो के अवलोकन से उक्त विक्रम का नंबर यू0के007-टीए-9683 होना प्रकाश में आया, जिस पर उक्त विक्रम चालक के बारे में जानकारी एकत्रित करते हुए पुलिस टीम द्वारा विक्रम चालक गणेश कुमार पुत्र हरद्वारी लाल को गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण - पूछताछ में विक्रम चालक द्वारा बताया गया की दिनांक 15-05-2024 को वह रिस्पाना से दो सवारी लड़कियों को लेकर घन्टाघर की ओर आ रहा था, रास्ते में एलआईसी बिल्डिंग के पास उसके विक्रम से एक स्कूटर वाले को टक्कर लग गई, जिससे स्कूटर सवार नीचे गिर गया । घटना के बाद पकडे जाने तथा मारपीट के डर से उसके द्वारा विक्रम को तेजी से चलाते हुए धरमपुर चौक से मथुरावला रोड की ओर दौड़ा दिया। विक्रम में पीछे बैठी दोनों लड़कियां द्वारा उसे टेंपो रोकने के लिए कहा गया, पर पकडे जाने के डर से उसने विक्रम को नही रोका, जिस पर दोनो लडकियों ने घबराकर चलते हुए विक्रम से छलांग लगा दी, जिसे देखकर विक्रम चालक मौके से फरार हो गया।

विक्रम चालक से पूछताछ में घटना के समय विक्रम में एक अन्य लडकी के बैठे होने की जानकारी मिलने पर पुलिस द्वारा दूसरी लडकी के सम्बंध में जानकारी एकत्रित की तो विक्रम में सवार दूसरी लड़की का सृष्टि विहार नेहरू कॉलोनी देहरादून में रहना प्रकाश में आया, जिससे पूछताछ में उसके द्वारा बताया गया कि रिस्पना पुल से घंटा घर की ओर आते समय एल0आई0सी बिल्डिंग के पास विक्रम चालक द्वारा स्कूटर को टक्कर मारने के बाद विक्रम को बहुत तेजी व खतरनाक तरीके से चलाते हुए धर्मपुर से मथुरावाला की ओर मोड दिया, उनके द्वारा विक्रम चालक को विक्रम रोकने के लिये बार-बार कहने के बाद भी जब उसके द्वारा विक्रम नही रोका गया, तो उन्होंने घबराकर चलते हुए विक्रम से छलांग लगा दी, जिससे उन दोनो को चोटे आई। युवती द्वारा खुद के व दूसरी युवती के साथ विक्रम चालक द्वारा किसी प्रकार की छेड़खानी अथवा उन्हें धक्का देकर बाहर फेकने की बात से इनकार किया गया।

पुलिस टीम द्वारा तत्परता से कार्य करते हुए गंभीर धाराओं में पंजीकृत अपराध की संवेदनशीलता के मद्देनजर घटना के संबंध में तेजी से छानबीन कर अपराध की मूल घटना का पता किया गया और घटना में शामिल ड्राईवर को पकड़ा गया, उक्त अभियोग में धारा 307/309 आईपीसी को धारा 279/338 आईपीसी में तरमीम किया गया।

नाम पता अभियुक्त -

गणेश कुमार पुत्र हरद्वारी लाल निवासी नत्थनपुर नेहरू ग्राम, थाना नेहरू कॉलोनी, जनपद देहरादून, उम्र 54 वर्ष

थाना नेहरू कालोनी
जनपद देहरादून (उत्तराखण्ड)
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
9411112706
दूरभाष नं.
0135-2673117
थाना अध्यक्ष
फोन नं. 9411112991
मित्रता, सेवा, सुरक्षा
थाना नेहरू कॉलोनी
धर्मपुर
Jai Mata Di